

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कबीरधाम (छ0ग0)

दूरभाष—07741—233174, Email ID – dtic-kabirdham.cg@gov.in

क्रमांक / जिव्याउके / सू.का.अ. / 2020 / 537 कबीरधाम, दिनांक 18/03 / 2020
प्रति,

वरिष्ठ वैज्ञानिक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,
जिला-कबीरधाम छ.ग.

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा (1) (ख) प्रावधानों का समुचित कियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक 77/सू.अधि. / विविध(2) / 2017 / 22529-55 रायपुर दिनांक 20.12.2019

उक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4.1 (ख) स्वयं प्रकटीकरण की 17 बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर प्रेषित है। कृपया जानकारी विभागीय वेबसाइट www.industries.cg.gov.in में अपलोड की गई जानकारी अद्यतन करवाने का कष्ट करे।

क्र.	धारा 4.1 (ख) 17 बिंदु	17 बिन्दु की विभागीय जानकारी
01	अपने संगठन की विशेषताएं, कर्तव्य और कार्यों के बारे में जानकारी उद्देश्य, इतिहास, गठन प्रारंभ, प्रदत्त सेवा, विभिन्न स्तर ढॉचा, शिकायत निराकरण व्यवस्था, खुलने व बन्द का समय	जिले में कार्यालय प्रमुख महाप्रबंधक प्रथम श्रेणी के (उप संचालक स्तर) अधिकारी है। तीन प्रबंधक पदस्थ है। तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) के चार पद रिक्त है। कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से 05:30 बजे तक है। प्राप्त आवेदन डाक स्तर पर महाप्रबंधक द्वारा देखे जाते है उनके द्वारा पत्र संबंधित कक्ष को भेजे जाते है। संबंधित कक्ष सहायक, पत्र प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत करते है। अंतिम निर्णय महाप्रबंधक द्वारा लिया जाता है।
02	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों का शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य)	महाप्रबंधक को वित्तीय अधिकार पुरितक/सामान्य प्रशासन विभाग /विभागीय नियमों के अनुसार अधीनस्त अधिकारियों का अवकाश स्वीकृत करने/ वेतन व अन्य भत्ते आहरित करने/इकाईयों के अनुदान प्रकरणों का निराकरण करने व कार्यालयीन उपयोग हेतु विभिन्न सामग्री कय करने का अधिकार प्रदत्त है।
03	निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया (आधार फॉर्म कर निर्धारण, निर्णय प्रक्रिया, स्तर, अंतिम प्राधिकारी)	प्राप्त आवेदन संबंधित कक्ष सहायक द्वारा नस्ति में प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रबंधक अपनी टीम के साथ महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण कार्यालयीन प्रबंधक द्वारा किया जाता है। विभागीय क्रियाकलापों में स्थापित उद्योग इकाईयों के उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना, कय/लीज पर अभिलेख निष्पादित के समय व बैंक ऋण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट तथा नीति अनुसार विभिन्न अनुदान/छूट के प्रकरणों का निराकरण किये जाने की प्रक्रिया लागू है।
04	अपने कर्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड (वि.वि. वार्षिक कलेण्डर समय सीमा, परीक्षा, परीक्षाफल, पुरक परीक्षा, प्रवेश, चुनाव)	समस्त क्रियाकलापों के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रभावी है। विभिन्न अनुदान योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाता है।
05	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जाने वाले नियम, निर्देशिका, अन्य अभिलेख (वाहन प्रयोग, ईंधन सीमा, माइलेज, वित्त विभाग, ए.सी)	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्यों का निर्वहन हेतु जारी अधिसूचनाएं/निर्देशों गार्ड फाईल में संघारित रखे जाते है। अधिसूचनाएं/निर्देश विभागीय वेबसाइट में भी उपलब्ध है। कार्यालय को आबटित वाहन के लिए ईंधन की सीमा 60 लीटर प्रतिमाह है।

	कक्ष	कक्ष सहायक
	आवक-जावक	श्री हेमंत सिंह राजपूत/श्री कुमार धुर्वे/श्री कुमारधर आनंद
	लेखा, बजट, आडिट, सतर्कता, सूचना का अधिकार, स्टाम्प शुल्क से छूट।	श्री हेमंत सिंह राजपूत
	अधोसंरचना विकास, समन्वय, स्थायी पूंजी निवेश, मार्जिनमनी अनुदान, एमएसएमई, एलएमआई, विधि, बैगा माडा पाकेट।	श्री दिलीप कुमार धुर्वे
	स्थापना, सामान्य, ब्याज अनुदान, औद्योगिक नीति, पीएमईजीपी, एमएमवायएसवाय, पीएमएमवाय, स्टैण्ड अप इंडिया योजना,	श्री कुमारधर आनंद
विभागीय नियंत्रण में उपलब्ध सभी अभिलेखों के प्रवर्गों का विवरण (अभिलेख का नाम, प्राप्ति प्रक्रिया, धारा नियंत्रणाधीन)	विभागीय छूट/अनुदान से संबंधित आवेदन विभागीय वेबसाइट पर आनलाईन लिए जाने व निराकृत किये जाने का प्रावधान लागू है। उत्पादन प्रमाण पत्र/स्टैम्प शुल्क से छूट/ब्याज अनुदान/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/मार्जिन मनी अनुदान सहित समस्त छूट/अनुदान से संबंधित आवेदन/अभिलेख विभागीय साफ्टवेयर में संधारित रहते हैं। रोजगार मूलक योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवेदन आनलाईन लिये जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन/अभिलेख कार्यालय में संधारित किये जाते हैं।	
नीतियों का संरचना और कार्यन्वयन के संबंध में जनता से परामर्श करने के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण (जनभागीदारी समिति)	नीतियां शासन स्तर पर निर्धारित की जाती है। कार्यन्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समितियां गठित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना-जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान-जिला स्तरीय समिति। दोनों समितियों के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति में पंचायत के तीन प्रतिनिधि भी सदस्य है।	
अपने कागजात से संबंधित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार बोर्ड, समिति और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनके बैठके जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी राभा के मिनिट्स तक जनता की पहुंच होगी (प्रकार डेशबोर्ड, परिषद या निकाय, उद्देश्य व कृत्य, भूमिका-परामर्शदात्री या कार्यकारिणी मिनिट्स जनता को उपलब्ध)	जिला स्तर पर गठित समितियों का विवरण 01. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :- 01. जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर - अध्यक्ष 02. लीड बैंक प्रबंधक - सदस्य 03. केव्हीआईसी/केव्हीआईबी/डीआईसी का प्रतिनिधि - सदस्य 04. एनवायकेएस/एससी/एसटी/निगम का प्रतिनिधि - विशेष आमंत्रित 05. एमएसएमई-डीआई, आईटीआई/पालिटेक्निक का प्रतिनिधि - विशेष आमंत्रित 06. पंचायत के प्रतिनिधि (रोटेशन द्वारा अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त/कलेक्टर द्वारा नामित किया जाना है।)- सदस्य 07. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र - सदस्य संयोजक 02. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :- 01. कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि - अध्यक्ष 02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - उपाध्यक्ष 03. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक - सदस्य 04. तीन प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि - सदस्य 05. जिला रोजगार अधिकारी - सदस्य 06. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान के प्रतिनिधि/आईटीआई/ पालिटेक्निक का प्रतिनिधि - विशेष आमंत्रित सदस्य 07. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र - सदस्य सचिव,	

03. जिला स्तरीय समिति :-

01. कलेक्टर - अध्यक्ष
02. उद्योग संचालनालय में पदस्थ अधिकारियों जो न्यूनतम संयुक्त संचालक पद के अधिकारी हो - उपाध्यक्ष
03. लीड बैंक अधिकारी - सदस्य
04. वाणिज्यिक कर अधिकारी - सदस्य
05. महाप्रबंधक सीएसआईडीसी लिमिटेड (जा राज्य शासन उद्योग विभाग के न्यूनतम उप संचालक स्तर का अधिकारी हो) - सदस्य
06. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र - सचिव

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति में पंचायत के तीन प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठकों में नामांकित सदस्य उपस्थित होते हैं। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/प्रवेश शुल्क/मंडी शुल्क से छूट हेतु प्राप्त आवेदन जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। आवेदक उद्योग इकाई के सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग :-

क्र.	नाम	पदनाम	दूरभाष नम्बर
1	माननीय श्री कवासी लखमा	केबिनेट मंत्री	0771-2510907
2	श्री मनोज कुमार पिगुआ	प्रमुख सचिव	0771-2510219
3	श्री व्ही के छबलानी	विशेष सचिव	0771-2510758
4	श्री अनिल कुमार टुटेजा	संयुक्त सचिव	0771-2510300
5			
5	श्री कमलेश बंसोड	अवर सचिव	0771-2510182
उद्योग संचालनालय स्तर पर			
1	श्री अनिल कुमार टुटेजा	संचालक	0771-2510300
2	श्री प्रवीण शुक्ला	अपर संचालक	96177-69325
3	श्री अनिल श्रीवास्तव		
जिला स्तर पर (व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कबीरधाम)			
1	श्री अजय पाठक	महाप्रबंधक	07741-233174
2	श्री सी.डी.प्रसाद	प्रबंधक	
3	श्री रितुराज ताम्रकार	प्रबंधक	
4	श्री रामकुमार गुप्ता	प्रबंधक	

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कबीरधाम :-
मासिक जानकारी

क्र.	नाम	पदनाम	वेतन
1	श्री अजय पाठक	महाप्रबंधक	110500
2	श्री सी.डी.प्रसाद	प्रबंधक	77700
3	श्री रितुराज ताम्रकार	प्रबंधक	56100
4	श्री रामकुमार गुप्ता	प्रबंधक	56100
5	श्री पी के खैरवार	शीघ्रलेखक वर्ग 02	50703
6	श्री हेमंत सिंह राजपूत	सहायक वर्ग 02	26100
7	श्री दिलीप कुमार धुवे	सहायक वर्ग 02	26100
8	श्री कुमारधर आनंद	सहायक वर्ग 03	25400
8	श्री लक्ष्मीनारायण साहू	जमादार	19800

अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभाग के अन्य व्यक्तियों की निर्देशिका (डायरेक्टरी) नाम, पदनाम, सम्पर्क

अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की डायरेक्टरी उनके मासिक वेतन और अपने विनियमों के मुताबिक दिये जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण (पदनाम, वेतन भत्ता, अन्य पारिश्रमिक)

सभी योजनाओं प्रस्तावित खर्च और किये गये विवरण तथा निधियों की आबंटन की रिपोर्ट

क्र.	योजना मद	प्राप्त आबंटन	व्यय (दिनांक 17.03.2020 की स्थिति में)
1	9068 - औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	17241327 / -	17211627 / -

आबटित व वितरित

2	6857 - उद्योगों को ब्याज अनुदान	4170000/-	3693323/-
3	8928 - मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	1000000/-	943875/-
4	9283 - प्रतियोगिताएं, सगोष्ठिया, प्रदर्शनियां तथा प्रचार	350000/-	118084/-
5	1175 - ग्रामीण उद्यमी विकास प्रशिक्षण योजना	37222/-	37222/-

- 12 सखिसडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आबटित राशि के बारे में विवरण शामिल है। (सखिसडी-उद्देश्य, पात्रता)
- 13 अपने द्वारा दिये गये रियायतों परमिट या प्राधिकारों को पाने वाले व्यक्तियों के नाम (किसे, कितनी अवधि, सूची)
- 14 अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना का ब्यौरा
- 15 आम जन का सूचना प्रदान करने हेतु ग्रंथालय/अध्ययन कक्ष की व्यवस्था हो तो उसे खोलने/बंद होने की अवधि सस्था के (लोकप्राधिकारी) समस्त जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारी (समस्त) की डायरेक्टरी अन्य कोई सूचना विहित की जावे
- 16
- 17

घोषित औद्योगिक नीति के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाता है।
 ब्याज अनुदान :- सूक्ष्म/लघु/मध्यम श्रेणी के प्रकरणों में पात्रतानुसार ब्याज अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी महाप्रबंधक है।
 विभिन्न अनुदान योजनाओं के संबंध में जानकारी (अनुदान की मात्रा/उद्देश्य/ पात्रता) विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
 वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, में लाभान्वित हितग्राहियों की सूची अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

रोजगार मूलक विभागीय योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की सूची/स्थायी पूर्वी निवेश अनुदान प्राप्त/ब्याज अनुदान प्राप्त इकाईयों की सूची।

विभागीय औद्योगिक नीति, जारी अधिसूचनाएं, आनलाईन आवेदन प्रक्रिया, उद्यम आकांक्षा दाखिल करने की जानकारी, विभिन्न अनुदान/छूट हेतु आवेदन प्रक्रिया की जानकारी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी आनलाईन उपलब्ध है।

खुलने का समय 10:30 बजे
 बंद होने का समय 05:30 बजे
 (कार्यालयीन समय अनुसार)

जनसूचना अधिकारी श्री सी डी प्रसाद प्रबंधक
 प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री अजय पाठक महाप्रबंधक

सीएसआईडीसी के नियंत्रणाधीन जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा से संबंधित जानकारी www.csids.gov.in पर देखी जा सकती है।

[Signature]

महाप्रबंधक
 जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
 कबीरघाम (छ म)

कबीरघाम, दिनांक / / 2020

पु क्रमांक/जिव्याउके/सू का अ / 2020 /
 प्रतिलिपि :-

संचालक उद्योग, (सूचना का अधिकार) उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक
 जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
 कबीरघाम (छ म)